



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032023-244347
CG-DL-E-13032023-244347

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]
No. 163]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/फाल्गुन 22, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2023

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (543).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

- 1) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (521) दिनांक 13 फरवरी 2023 (प्रकाशित दिनांक 16 फरवरी 2023)

अनुसूची के क्रम संख्या 37 को डिलिट करें।

अनुसूची के क्रम संख्या 38, कॉलम (2) में — 'आई एस 19022 : 2023' को 'आई एस 19032 : 2023' से प्रतिस्थापित करें।

पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी, टी एन एम)
[विज्ञापन-III/4/असा./689/2022-23]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 9th March, 2023

Ref: HQ-PUB-BIS (543).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

- 1) Extraordinary vide HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (521) dated 13 February 2023 (Published on 16 February 2023)

Delete Sl No. 37 of the schedule.

Sl. No. 38, column (2) of schedule — Substitute 'IS 19032 : 2023' for 'IS 19022 : 2023'.

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./689/2022-23]